<u>प्रेस प्रकाशनी</u>

1. संसद का शीतकालीन सत्र जो सोमवार, 18 नवंबर, 2019 से आरंभ हुआ था, शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2019 को समाप्त हो गया। सत्र के दौरान 26 दिनों की अवधि में कुल 20 बैठकें हुई।

2. सत्र के दौरान, 18 विधेयक पुर:स्थापित किए गए (18 लोक सभा में)। सत्र के दौरान लोक सभा द्वारा 14 विधेयक जबकि राज्य सभा द्वारा 15 विधेयक पारित किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा 15 विधेयक पारित किए गए जो संसद के अधिनियम बन जाएंगे। सत्र के दौरान पुर:स्थापित, विचार और पारित किए गए विधेयकों सूची संलग्न है।

3. लोक सभा की उत्पादकता लगभग **116%** व राज्य सभा की उत्पादकता लगभग **100%** रही।

4. सत्र के दौरान, दोनों सदनों में वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के पहले बैच पर संबंधित विनियोग विधेयक सहित चर्चा की गई और उन्हें अनुमोदित किया गया।

5. राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए दो अध्यादेशों अर्थात (i) इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अध्यादेश, 2019 और (ii) कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयकों पर दोनों सदनों द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया।

6. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक निम्न प्रकार हैं:-

- **सामाजिक और लैंगिक न्याय -** सत्र के दौरान भारत में सामाजिक और लैंगिक न्याय प्रणाली को और मजबूत करने के लिए भी कुछ विधेयक पारित किए गए। **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019** एक उभयलिंगी व्यक्ति को परिभाषित करता है और उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण और उनके कल्याण का उपबंध करता है। **इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध विधेयक, 2019** का अभिप्राय निकोटीन की अत्यधिक नशे की लत की प्रकृति पर विचार करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और ऐसी ही अन्य चीजों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन का निषेध करना है। यह विधान सतत विकास के लक्ष्यों, गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निगरानी ढांचे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी सफल होगा। **नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019** अफगानिस्तान, बांगला देश और पाकिस्तान से आने वाले अवैध हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता के योग्य बनाएगा और भारत में एक सम्मानित जीवन का हकदार बनाएगा। **आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019** अवैध रूप से आग्नेयास्त्रों का उपयोग करके या उससे संबंधित अपराधों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाएगा और कानून के उल्लंघन के खिलाफ प्रभावी रूप से निवारण करेगा।

- **प्रशासनिक क्षेत्र सुधार -** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुछ अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों की संपत्ति संबंधी अधिकारों को मान्यता देने के उद्देश्य से, सरकार ने **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019** अधिनियमित किया है जो निवासियों की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता का समाधान करेगा। **विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019** के साथ एस.पी.जी. अब प्रधान मंत्री और उनके सरकारी आवास पर उनके साथ रह रहे उनके

परिवार के सगे सदस्यों को सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। यह किसी भी पूर्व प्रधान मंत्री को भी उनको आबंटित आवास पर उनके साथ रह रहे उनके परिवार के सगे सदस्यों को उनके द्वारा प्रधान मंत्री के पद को छोड़े जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। **संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019** का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अगले और दस वर्षों अर्थात 25 जनवरी, 2030 तक सीटों के आरक्षण को जारी रख कर संविधान के संस्थापकों द्वारा कल्पना किए गए रूप में समावेशी चरित्र को बनाए रखना है।

- **आर्थिक क्षेत्र/आसानी से व्यापार करने के उपाय -** देश में आर्थिक भावनाओं का समाधान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधान वर्तमान सत्र के दौरान पारित किए गए। **कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019** नए निवेश को प्रोत्साहित करेगा, विकास को प्रेरित करेगा, अर्थव्यवस्था में नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा, पूंजी बाजार को स्थिर करेगा और पूंजी बाजार में धन की आमद को बढ़ाएगा। **चिटफंड (संशोधन) विधेयक, 2019** चिटफंड के क्षेत्र में क्रमिक विकास को सुकर बनाएगा और इस प्रकार अन्य वित्तीय उत्पादों के लिए लोगों की वित्तीय पहुंच को आसान बनाएगा। **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019** भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवाओं के लिए बाजार को विनियमित और विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना करेगा।

7. राज्य सभा में चार पुराने लंबित विधेयकों अर्थात भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987, राष्ट्रीय मानव संसाधन स्वास्थ्य आयोग विधेयक, 2011, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013, और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को वापस लिया गया।

8. लोक सभा में नियम 193 के अंतर्गत 2 अल्पावधि चर्चाऐं हुई - 'वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन' पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा और 'विभिन्न कारणों से फसल नुकसान और किसानों पर इसके प्रभाव' पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया।

9. राज्य सभा में "भारतीय राजनीति में राज्य सभा की भूमिका और आगे की राह" पर एक विशेष चर्चा हुई। देश में आर्थिक हालत पर नियम 176 के अंतर्गत चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, राज्य सभा में 'देश में, विशेषकर दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर से उत्पन्न स्थिति', 'वाट्स-ऐप के जरिए कुछ व्यक्तियों के फोन डेटा को जोखिम में डालने के लिए स्पाईवेयर पेगासस का प्रतिवेदित उपयोग,' और 'उभरते जल संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता और जल का 'राज्य सूची' से 'समवर्ती सूची' में अंतरण' विषयों पर तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लिए गए।

10. संविधान को अंगीकार करने के 70 वर्षों का स्मरणोत्सव मनाने के लिए 26 नवंबर, 2019 को संसद के केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर, माननीय राष्ट्रपति, माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने सभा को संबोधित किया। अन्य बातों के अलावा, देश की सभी शैक्षणिक संस्थाओं को युवा संसद कार्यक्रम के दायरे में लाने के लिए माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद योजना के एक वेब-पोर्टल का उद्घाटन किया गया।

11. इस सत्र का असाधारण उत्पादन संसद के दोनों सदनों के समक्ष कार्य के निष्पादन में शामिल सभी एजेंसियों और व्यक्तियों के अथक प्रयासों के कारण संभव हो पाया है।

***

सत्रहवीं लोक सभा के दूसरे सत्र और राज्य सभा के 250वें सत्र (शीतकालीन सत्र, 2019)
के दौरान निष्पादित विधायी कार्य

I. लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध विधेयक, 2019
2. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019
3. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019
4. पोतों का पुनर्चक्रण विधेयक, 2019
5. विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019
6. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019
7. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) विधेयक, 2019
8. औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019
9. आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019
10. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2019
11. संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
12. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019
13. समुद्री दस्युता रोधी विधेयक, 2019
14. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019
15. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019
16. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019
17. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
18. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019

II. लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. चिटफंड (संशोधन) विधेयक, 2019
2. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019
3. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध विधेयक, 2019
4. विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019
5. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) विधेयक, 2019
6. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019
7. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019
8. पोतों का पुनर्चक्रण विधेयक, 2019
9. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2019
10. आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019
11. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019
12. संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
13. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019
14. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

III. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019
2. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019
3. चिटफंड (संशोधन) विधेयक, 2019
4. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध विधेयक, 2019
5. विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019
6. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) विधेयक, 2019
7. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019
8. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019
9. पोतों का पुनर्चक्रण विधेयक, 2019
10. आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019
11. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019
12. संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
13. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019
14. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019
15. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2019

IV. दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019
2. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019
3. चिटफंड (संशोधन) विधेयक, 2019
4. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019
5. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध विधेयक, 2019
6. विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019
7. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) विधेयक, 2019
8. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019
9. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019
10. पोतों का पुनर्चक्रण विधेयक, 2019
11. आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019
12. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019
13. संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
14. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019
15. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2019

V. वापस लिए गए विधेयक

1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987
2. राष्ट्रीय मानव संसाधन स्वास्थ्य आयोग विधेयक, 2011
3. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013
4. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019

****